तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज लालाराम. बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार पीपाड़शहर) सू.अ.अ. अपील संख्या 50 / 2021	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.03.21	अपीलार्थी लालाराम पुत्र नैनाराम गाड़िया लौहार, पता ग्राम बोरून्दा तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.02.2021 में उसके द्वारा (1) मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र व ews प्रमाण पत्र को बनाने के संबंध में सरकार द्वारा आरंभ से आदिनांक जितने भी सर्कुलर, नियम, परिपत्र, आदेश इत्यादि, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार पीपाड़शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार पीपाड़शहर) से जरिये पत्रांक 22 दिनांक 12.03.2021 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि प्रार्थी को बिन्दुवार सूचना जरिये पत्रांक 18 दिनांक 12.03.2021 के रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जाती है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सूचना अपील दायर करने के पश्चात् दी गई जो खेदजनक है अतः लोक सूचना अधिकारी को हिदायत दी जाती है कि सूचना का अधिकार अधि. के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत अवधि में किया जावे। प्रस्तुत प्रकरण में सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	